यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक
71/2023	19.06.2023	14.11.2025

उनवान

1. छीतरमल पुत्र श्री नाथूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र नाथूराम,
2. बोदूराम पुत्र भूराराम,

   समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. उप—पंजियक महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. भूमि विकास बैंक, शाखा चौमूँ, जरिये शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक, शाखा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण—

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

निर्णय दिनांकः—14.11.2025.

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 31.05.2024 को कुरेजात प्राप्त हुए। पत्रावली पर अधिवक्ता वादी के निवेदन पर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली, रिकार्ड, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया, जिससे वादी का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 31.05.2024 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 159 के हाल खसरा नम्बर 93 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम समरपुरा, पटवार हल्का

14/11/25

विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, जिला जयपुर स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. बोदूराम पुत्र भूराराम जाति जाट सा0 देह को खसरा नम्बर 93 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.2050 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

2. छीतरमल पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/2 बनवारी पुत्र नाथूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह को खसरा नम्बर 93/1 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.2050 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) चौमूं के जरिये पंत्राक/भू0अ0/2024/3493 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15/11/24

दिलीप सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर